

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द बनाम नामालूम पुत्र नामालूम बगैरे

किस्म मुकदमा:- विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर:- 31 / 2024

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नाम व तारीख अहकाम जो हुव हुव की तारीख न जारी हुय
08.05.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री सुभाष यादव एड0 के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 19.07.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

